पत्रांकः–04/NULM-35/16 ......773......./न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त, सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद्/नगर पंचायत।

पटना, दिनांक 2/4/2020

विषयः– **निकाय स्तर पर राशन कार्डविहीन सुयोग्य परिवार को राशन कार्ड के निर्गमन हेतु सर्वेक्षण कराये जाने के संबंध में।**

प्रसंगः– **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 17408, दिनांक–30.12.2016, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या– 8515, दिनांक–19.11.2015**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि शहरी क्षेत्र में ऐसे कई सुयोग्य परिवार हैं जिन्हें राशन कार्ड नहीं होने अथवा पुराने राशन कार्ड होने के कारण जन वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से राशन उपलब्ध नही हो पा रहा है।

2. विदित हो कि Covid-19 से उत्पन्न महामारी में सभी सुयोग्य परिवारों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा राशन उपलब्ध हो इस हेतु नगर निकाय अंतर्गत सभी आवासित परिवार (स्वयं के आवास/किराये के आवास) में रहने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया जाना है।

3. सर्वेक्षण का कार्य निम्न प्रकार से किया जाना है –

(क) नगर निकाय में कार्यरत नगर प्रबंधक (City Manager) एवं नगर मिशन प्रबंधक (CMM-NULM) सर्वेक्षण के कार्य का अनुश्रवण अपने स्तर से करेंगें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन दैनिक रुप से नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगें।

(ख) जिन नगर निकायों में नगर प्रबंधक या नगर मिशन प्रबंधक (CMM) की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी वहाँ के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी स्वयं या किसी योग्य कर्मी के माध्यम से इसका अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगें।

(ग) नगर निकाय अंतर्गत सभी Slum Area में सर्वेक्षण का कार्य Community Organizers (COs)/Community Resource Persons (CRPs) के द्वारा किया जाएगा।

(घ) नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी को यदि अतिरिक्त मानव बल की आवश्यकता हो तो नगर निकाय द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की शिक्षित महिलाओं से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा सकता है। अतिरिक्त मानव बल को दैनिक भत्ता के रुप में Community Resource Persons (CRPs) को दैनिक रुप से भुगतान की जाने वाली राशि देकर कार्य करा सकते है। दैनिक भत्ता के रुप में व्यय की जाने वाली राशि NULM के IEC मद में शहरी समृद्धि उत्सव के लिए उपलब्ध करायी गयी राशि से की जाएगी।

(ङ) सर्वेक्षण कार्य के उपरांत डाटा को Excel Sheet में संधारित किए जाने हेतु नगर निकाय एक डाटा इंट्री ऑपरेटर को इस कार्य हेतु नामित करेगा। डाटा इंट्री ऑपरेटर प्राप्त सर्वेक्षित गृहस्थियों की सूची को दैनिक रुप से अविलम्ब टंकण कर इसका संधारण करेंगें।

(च) सर्वेक्षण कार्य से पूर्व सर्वप्रथम नगर प्रबंधक एवं नगर मिशन प्रबंधक (CMM) सर्वेक्षण के कार्य हेतू Community Organizers (COs)/Community Resource Persons (CRPs) को इस पत्र के साथ संलग्न खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना में शहरी क्षेत्र के गृहस्थियों के लिए दिए गए पात्रता तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना के प्रपत्र– 'क' की समझ हेतू उनका क्षमतावर्धन करेंगें।

(छ) क्षमतावर्धन के उपरांत निकाय स्तर पर गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की सूची नगर मिशन प्रबंधक/COs, NULM के पोर्टल से download कर सर्वेक्षण हेतु संबंधित सर्वेक्षक दल को उपलब्ध कराएँगे। प्रथम चरण में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं का सर्वेक्षण का कार्य किया जायेगा।

(ज) नगर निकाय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के परिवार से अतिरिक्त NULM योजना अन्तर्गत निकाय स्तर पर सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेता (Street Vendor), आश्रयविहिनों (Homeless), भिखारी, कूड़ा चुनने वाला, घरेलू श्रमिक, मोची, फेरीवाला, गली–मुहल्ले, कुली, सफाईकर्मी, परिवहन कर्मी, सुरक्षा प्रहरी, रिकशा चालक, इत्यदि का भी सर्वेक्षण किया जाएगा।

(झ) सम्बंधित कार्य में प्रति नगर निगम को रूपये 5000/- नगर परिषद् को रूपये 3000/- एवं नगर पंचायत को रूपये 2500/- प्रिंटिंग, स्टेशनरी या अन्य मद में खर्च करने की अनुमति दी जाती है। नगर निकाय इस राशि का व्यय NULM के A&OE मद से करेंगे।

(ञ) सर्वेक्षण कार्य हेतु विहित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जिसपर सर्वेक्षण का कार्य करने वाले दल के सभी सदस्य/ डाटा इंट्री ऑपरेटर/ सर्वेक्षण दल का अनुश्रवण करने वाले City Manager/City Mission Manager एवं नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी भी इसे हस्ताक्षर कर विभाग को प्रतिवेदन भेजेगें।

(ट) सर्वेक्षण कार्य हेतु दल के सभी सदस्यों को कार्य संपादित करने के लिए Social Distancing का पालन तथा Mask का उपयोग करना अनिवार्य होगा। दल के सभी सदस्यों को कार्य संपादन हेतू दो Masks की उपल्बधता नगर निकाय स्वयं अपने स्तर से करायेगा।

4. अतः उक्त के आलोक में सभी नगर निकाय पत्र प्राप्ति के दो कार्य दिवस में सर्वेक्षण कार्य को पूर्णतः संपादित करते हुए विभाग को अपनी अनुशंसा के साथ राशन कार्डविहीन सुयोग्य परिवारों की संबंधित सूची को उपलब्ध कराना एवं इस सूची को Excel Format (Soft Copy) में "daysulmbihar@gmail.com" पर भी भेजना सूनिश्चित करेगें।

अनुः यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर) 31/5/2020

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

नगर निकाय का नाम :–

जिला का नाम :–

निकाय स्तर पर राशन कार्डविहिन सुयोग्य परिवार को राशन कार्ड के निर्गमन हेतु सर्वेक्षण।

क0सं0	परिवार के मुखिया का नाम	परिवार के सदस्यों का नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध	आधार नं0	वार्ड नं0	पत्ता	मोबाईल नं0	व्यवसाय/सेवा	आय का स्रोत	मासिक आय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

सर्वेक्षक का हस्ताक्षर
नाम–

डाटा एंट्री ऑपरेटर का हस्ताक्षर
नाम–

अनुश्रवणकर्त्ता का हस्ताक्षर
नाम–

नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी का हस्ताक्षर
Stamp सहित